बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक–6/वि01–1052/16 742 पटना, दिनांक– 24/03/17

प्रेषक :

ई–मेल

अंशुली आर्या,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक), (रूपांकण एवं योजना प्रमण्डल छोड़कर)।

विषयः– वित्तीय वर्ष–2016–17 में योजना मद अंतर्गत विभिन्न शीर्षों अंतर्गत आवंटित की गयी राशि के विरूद्ध प्रत्यार्पित की गयी राशि के अनुरूप कोषागार में पूर्व में प्रेषित एल0ओ0सी0 में संशोधन करने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–722, दिनांकः– 21.03.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा निदेशित किया गया था कि वित्तीय वर्ष–2016–17 में योजना मद अंतर्गत विभिन्न शीर्षों अंतर्गत आवंटित की गयी राशि के विरूद्ध प्रत्यार्पित की गयी राशि के अनुरूप कोषागार में पूर्व में प्रेषित एल0ओ0सी0 में संशोधन कर कोषागार में प्रविष्टि (Entry) अविलंब सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत करावें। परन्तु किसी भी प्रमण्डल द्वारा कृत कार्रवाई से अवगत नहीं कराया गया जो स्पष्ट रूप से दिये गये निदेश की अवहेलना है।

पुनः निदेश है कि वित्तीय वर्ष–2016–17 में योजना मद अंतर्गत विभिन्न शीर्षों अंतर्गत आवंटित की गयी राशि के विरूद्ध प्रत्यार्पित राशि के अनुरूप कोषागार में पूर्व में प्रेषित एल0ओ0सी0 में संशोधन कर कोषागार में प्रविष्टि (Entry) आज ही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्रवाई की सूचना अविलंब मुख्यालय को भेजें।

24/3
(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 742 दिनांक 24/03/17

प्रतिलिपिः– सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (रूपांकण एवं योजना अंचल छोड़कर)को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि उपर्युक्त दिये गये निदेश का अपने स्तर से समीक्षा कर ससमय कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया जाए।

24/3
(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 742 दिनांक 24/03/17.

प्रतिलिपिः– आई.टी. मैनेजर को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेश है कि पत्र की प्रति विभागीय वेवसाईट पर आज हीं अपलोड किया जाय।

24/3
(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव